



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्रालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र.

/2017

III/नगरानी/छूपपुर/भवरा/2017/3984

श्रीमती मालती देवी पत्नी श्री मुरली प्रसाद द्वारा श्री चेतन लाल पुत्र श्री मुरली प्रसाद कुशवाह, मुख्यार खास, निवासी- वार्ड क्र. 18 शांति नगर राजनगर ग्राम बनगमा तहसील कोतमा जिला अनूपपुर (म.प्र.)

--आवेदिका

श्री विनाद भाव आई

द्वारा आज दि 23-10-17 को
प्रस्तुत

कलक ऑफ कोट
23-10-17

न्यायालय मण्डल भवरा ग्रालियर

पंची दिनांक 1-11-17

विनाद भाव
एड्युकेशन
ग्रालियर
23-10-2017

विरुद्ध

1. तहसीलदार महोदय, तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)
2. कोलई पुत्र चिंतामन, निवासी- ग्राम वर्डी तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)
3. तेज प्रताप पुत्र श्री जोधावली राठौर, ग्राम हरी तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)
4. ऐतु पुत्र हीरालाल राठौर, निवासी- ग्राम वर्डी तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

--अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार महोदय, अनूपपुर जिला अनूपपुर द्वारा लंबित सीमांकन कार्यवाही न कराये जाने के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 8 के अधीन अधीक्षण शक्तियां एवं संहित धारा 50 के अधीन आवेदन।

माननीय महोदय,

आवेदिका का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

1. यहकि, आवेदिका ने ऐतु भूमि रवामी से भूमि सर्वे क्रमांक

967/4/क/1/क रकबा 0.036 हे. क्रय किया था तदानुसार प्रकरण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(36)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - ३१८/अनुपप्र/भा। २०१७/३९९४ जिला - अनुपप्र

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
०५/९/१९	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी...<u>तुलीपुर</u>..... <u>अनुपप्र</u>.....के प्रकरण क्रमांक ...१८/अ-६/१५-१५..... में पारित आदेश दिनांक ०१-१०-१५.... के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. मू- राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु <u>तुलीपुर अनुपप्र</u>..... को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक...१८-१०-१९....को <u>तुलीपुर अनुपप्र</u>..... के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(महेश/<u>चन्द्र चौधरी</u>) सदस्य</p> 	